

प्रपत्र - 3

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.मं.अ. का

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-45 (विस्तारित) केंवची से रतनपुर मार्ग का 4/2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कॉरीडोर परियोजना
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम :— कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग :— राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-45 (विस्तारित) केंवची से रतनपुर मार्ग का 4/2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कॉरीडोर परियोजना
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति :— जिला वनमण्डल परियोजना स्थल
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही मरवाही गौरेला, खोडरी
5. वनभूमि का विस्तृत विवरण :—

वन प्रकार	वनखण्ड	कक्ष	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.में)
आरक्षित वन	—	—	—
सीमांकित संरक्षित वन	खोडरी, कटारियाडांड, सधवानी, जोगीसार, उमरखोई	2304, 2303, 2302, 2321, 2200, 2108, 2125, 2128	8.404
असीमांकित संरक्षित वन	मानपुर	2240	0.998
राजस्व वनक्षेत्र	केंवची, ठेंगाडांड, खोडरी, बनझोरका, जागीसार, डुगरा	—	1.164

6. आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति :— साल/सागौन/मिश्रित
औसत घनत्व 0.1 से 0.4
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण :— कुल वृक्षों की संख्या - 2679, विवरण संलग्न है।
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति :— निरंक
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों) :— नहीं
में मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी/वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)